उप जिला कलेक्टर, करौली
प्रमाणित फोटो प्रति... डिक्री .... मि0 नं. 159/02
बनाम... गु0 वहीद व गु0 समीपुत्र

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– अ0 वहीदपुत्र अ0 हबीब

2– अ0 सईदपुत्र अ0 हबीब

जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली

–वादीगण

बनाम

1– अ0 समीपुत्र हमीद खॉ जाति मुसलमान –फौत निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली
1/1–रहमत खातून पत्नी अ0 समी
1/2– रफीका खातून पुत्री अ0 समी
1/3– अहसान खॉ पुत्र अ0 समी
1/4– अताउर्रहमान उर्फ चुन्नू पुत्र अत0 समी
1/5– मोहम्मद सफीक पुत्र अ0 समी
सभी जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली
1/6– सकीला खातून पुत्र अ0 समी पत्नी इनायत खॉ जाति मुसलमान निवासी खासौली जिला– चूरू
1/7– शबाना खातून पुत्र अ0 समी पत्नी इकबाल जाति मुसलमान निवासी पावर हाउस के पास, छाबी रोड, गगंवाना पुलिस थाना गैंगल जिला–अजमेर
1/8– आशीका खातून पुत्र अ0 समी पत्नी रफीका
1/9– शमशीदा खातून पुत्री अ0 समी पत्नी मौ0 उमर
सभी जाति मुलसमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली
2– अमानुल्ला पुत्र हमीद खॉ– फौत जाति मुसलमान निवासी हरदेनिया गली, चटीकना, करौली
2/1– इनाम पुत्र उमनुल्ला खॉ
2/2– अनवर उल्लाह पुत्र उमानुल्ला खॉ
2/3– जिया उल्लाह खॉ पुत्र उमानुल्ला खॉ
2/4– जाकिर उल्ला खॉ पुत्र उमानुल्ला खॉ
2/5– नासिर पुत्र उमानुल्ला खॉ
2/6– अब्बास खातून पत्नी उमानुल्ला खॉ
सभी जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली
3– महमूद पुत्र अ0 हमीद जाति मुसलमान निवासी हरदैनिया गली, चटीकना, करौली
4– निजामुददीन पुत्र अब्दुल समद (फौत)
4/1– अहतशामुददीन पुत्र निजामुददीन
4/2– इकरारुददीन पुत्र निजामुददीन
4/3– अलीमुददीन पुत्र निजामुददीन
4/4– सलीमुददीन पुत्र निजामुददीन
4/5– नईमुददीन पुत्र निजामुददीन
4/5/1– नवाज खॉ पुत्र निजामुददीन
4/6– शरीफुददीन पुत्र निजामुददीन
4/7– मु0 परवीन पुत्री निजामुददीन
4/8– मु0 शबाना पुत्री निजामुददीन
4/9– मु0 शबाना पुत्री निजामुददीन
सभी जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली
5– छम्मन खातून पुत्री माम खां –फौत

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (रीडर)
उप जिला कलक्टर करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

5/1– अब्दुल लतीफ –फौत (हजफ)
5/2– अब्बास खातून पत्नी अमानुल्ला
5/3– अनीसा पत्नी अब्दुल रहीम
सभी जाति मुसलमान निवासी करौली
5/4– नफीसा खातून पत्नी अब्दुल शरीफ जाति मुसलमान निवासी रेलवे कॉलोनी, कोटा
6– कादर खां पुत्र अब्दुल लतीफ
7– शेरयार खां पुत्र गुलाम गौस
8– अ0 सईद पुत्र अ0 सलाम
9– अ0 रहमान पुत्र अ0 सलाम
10– अमजद पुत्र अ0 सलाम
11– अनवरी उर्फ मटल्लों बेवा सलाम
12– भूरया पुत्र शकूर
सभी जाति मुसलमान निवासी करौली
13– कालू पुत्र शकुर –फौत
14– तहसीलदार साहब, तहसील करौली

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (रीडर)
उप जिला कलक्टर करौली

–प्रतिवादीगण

छावा घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी

मुकदमा नं. 159/02

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री हेमराज सैनी**, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.1.26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

नकल संख्या ...35...
तारीख दरख्वास्त देने की 15/01/25
तारीख नकल तैयारी ....
तारीख नकल देने की 16/01/25
कुल पेज 2
कुल स्टाम्प रुपये 4.00

ह० नकल देने वाले के

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर, करौली
प्रमाणित फोटो प्रति ... मि०नं० 159/02
बनाम ... अ० वहीदपुत्र ... सभीपुत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–159 / 02 तारीख रजु:–17.06.2002

उनवान

1– अ0 वहीदपुत्र अ0 हबीब

2– अ0 सईदपुत्र अ0 हबीब

जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (नकल)
उप जिला कलक्टर करौली

–वादीगण

बनाम

1– अ0 समीपुत्र हमीद खॉ जाति मुसलमान –फौत निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1/1–रहमत खातून पत्नी अ0 समी

1/2– रफीका खातून पुत्री अ0 समी

1/3– अहसान खॉ पुत्र अ0 समी

1/4– अताउर्रहमान उर्फ चुन्नू पुत्र अत0 समी

1/5– मोहम्मद सफीक पुत्र अ0 समी

सभी जाति मुसलमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

1/6– सकीला खातून पुत्र अ0 समी पत्नी इनायत खॉ जाति मुसलमान निवासी खासौली जिला– चूरू

1/7– शबाना खातून पुत्र अ0 समी पत्नी इकबाल जाति मुसलमान निवासी पावर हाउस के पास, छाबी रोड, गगंवाना पुलिस थाना गैंगल जिला–अजमेर

1/8– आशीका खातून पुत्र अ0 समी पत्नी रफीका

1/9– शमशीदा खातून पुत्री अ0 समी पत्नी मौ0 उमर

सभी जाति मुलसमान निवासी मीरों की मस्जिद के पास, चटीकना, करौली

2– अमानुल्ला पुत्र हमीद खॉ– फौत जाति मुसलमान निवासी हरदेनिया गली, चटीकना, करौली

2/1– इनाम पुत्र उमनुल्ला खॉ

2/2– अनवर उल्लाह पुत्र उमानुल्ला खॉ

2/3– जिया उल्लाह खॉ पुत्र उमानुल्ला खॉ

2/4– जाकिर उल्ला खॉ पुत्र उमानुल्ला खॉ

2/5– नासिर पुत्र उमानुल्ला खॉ

2/6– अब्बास खातून पत्नी उमानुल्ला

सभी जाति मुसलमान निवासी हरदेनिया गली, चटीकना, करौली

3– महमूद पुत्र अ0 हमीद जाति मुसलमान निवासी हरदेनिया गली, चटीकना, करौली

4– निजामुददीन पुत्र अब्दुल समद (फौत)

4/1– अहतशामुददीन पुत्र निजानुददीन

4/2– इकरारमुददीन पुत्र निजामुददीन

4/3– अलीमुददीन पुत्र निजामुददीन

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

4/4– सलीमुददीन पुत्र निजामुददीन
4/5– नईमुददीन पुत्र निजामुददीन
4/5/1– नवाज खां पुत्र निजामुददीन
4/6– शरीफुददीन पुत्र निजामुददीन
4/7– मु0 परवीन पुत्री निजामुददीन
4/8– मु0 शबाना पुत्री निजामुददीन
4/9– मु0 शबाना पुत्री निजामुददीन
सभी जाति मुसलमान निवासी चटीकना करौली
5– छम्मन खातून पुत्री मामू खां –फौत
5/1– अब्दुल लतीफ –फौत (हजफ)
5/2– अब्बास खातून पत्नी अमानुल्ला
5/3– अनीसा पत्नी अब्दुल रहीम
सभी जाति मुसलमान निवासी करौली
5/4– नफीसा खातून पत्नी अब्दुल शरीफ जाति मुसलमान निवासी रेलवे कॉलानी, कोटा
6– कादर खां पुत्र अब्दुल लतीफ
7– शेरयार खां पुत्र गुलाम गौस
8– अ0 सईद पुत्र अ0 सलाम
9– अ0 रहमान पुत्र अ0 सलाम
10– अमजद पुत्र अ0 सलाम
11– अनवरी उर्फ मटल्लों बेवा सलाम
12– भूरया पुत्र शकूर
सभी जाति मुसलमान निवासी करौली
13– कालू पुत्र शकुर –फौत
14– तहसीलदार साहब, तहसील करौली

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी ..., उप जिला कलक्टर करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई दवामी

–::निर्णय::– दिनांक :– 15/1/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बरान 4265, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4266, 4269, 4272 वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कब्जे की है जिनमें आराजीयात खसरा नम्बरान 4265, 4270, 4273, 4275, 4266, 4261, 4269, 4272 वादीगण के पिता अब्दुल हबीब के खैर खाता व कब्जे की रही है अब्दुल हबीब से पूर्व हमारे दादा अब्दुल मजीद के खैर खाता व कब्जे की थी हमारे दादा अब्दुल मजीद के अब्दुल हमीद नाम का कोई पुत्र नही था और न ही अब्दुल हमीद का हमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक था। आराजीयात खसरा नमबरान 4265, 4670, 4273, 4275, बाबत उप जिलाधीश जागीर ने दिनांक 13,7,61 को अपने फैसले में

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वाहिद हमारे वालिद अब्दुल हबीब खां पुत्र अब्दुल मजीद खां जागीरदार की निजी सम्पत्ति माना एवं दीगर सह खातेदारान अलाउददीन, निजामुददीन एवं मामू खां का इन चार नम्बरों में कोई हक नही माना। परन्तु प्रतिवादीगण अमानुल्ला, महमूद, अब्दुल शमी वगैरहा का पिता अब्दुल हमीद एक चालाक और होशियार आदमी था। उसके लोगों के ताल्लुक थे। वादीगण व वादीगण का पिता अब्दुल हबीब एक भोला और सादा इन्सान था। अब्दुल हमीद ने रेवेन्यू वालों से साजिश कर 4265, 4270, 4273, 4275 की नामान्तकरण पंजिका क कालम नम्बर 2 में अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद खां फर्जी तौर पर लिखा लिया जिसकी जानकारी वादीगण व वादीगण के पिता को नही हो सकी। इसके अलावा दीगर खसरा नम्बरान 4266, 4272, 4271, 4269 को खातेदारी के इन्द्राज में भी स्वयं को अब्दुल मजीद का पत्र लिखा लिया ये तमाम इन्द्राजात फर्जी और बनावटी है जिनसे वादीगण के हकूक कतई भी मुतसिर नही होते है। आराजी खसरा नम्बर 4274 वाके कस्बा करौली में भी वादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है जो रिकोर्डेड के जिसमें वादीगण अपन 1/4 हिस्से को मौके पर बंटवाकर कब्जा हासिल करने के अधिकार है। चूंकि इस नम्बर में भी प्रतिवादी अमानुल्ला, अब्दुल शमी, महमूद व इनके दो मृतक भाई अब्दुल सलाम, अब्दुल शकूर के वारिसान का कोई हक नही है परन्तु मौजूदा में फर्जी खातेदारी के इन्द्राजात होने के कारण अब्दुल सलाम व अब्दुल शकूर जो अब्दुल हमीद के ही लडके थे के वारिसान को प्रतिवादी नम्बर 8 लगायत 13 के रूप में दर्ज किया जा रहा है। आराजीयात खसरा नम्बरान 4365, 4270, 4273, 4275 के मुकम्मल इन्द्राजात को वादीगण अब्दुल हबीब के वारिसान होने के कारण अपने हक में कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण अमानुल्लाह व इनके पिता ने जो फर्जकारी कर अपने नाम के इन्द्राज करा लिये है उन्हें दुरूस्ती करा कर उनके नाम हटवाने के अधिकारी है एवं खसरा नम्बरान 4274 में से वादीगण अपने 1/4 हिस्से को निजामुद्दीन व मामू खां के वारिसान 5 ता 12 से बंटवाकर अलग खातेदारी कराने के अधिकारी है। मामू खां की दूसरी पुत्री के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 हैं। खसरा

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी, गेड
उप जिला कलक्टर, करौ

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नमबरान 4266, 4271, 4269, 4272 में भी जो अब्दुल हमीद ने स्वयं को अब्दुल मजीद का पुत्र लिखाकर अपने नाम को इन्द्राजात चढवा लिये है। इस इन्द्राज से भी अब्दुल हमीद के नाम को हटवाते हुये इन चारों नम्बरान पर वादीगण अपने नाम के इन्द्राजात कराते हुऐ खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.1.92 को उपरोक्त आराजीयात को बेचने की धमकी दी एवं खातेदारी स्वयं के नाम होने की जानकारी दी। वादीगण ने अपना हिस्सा मांगा तो हिस्सा देने से भी इन्कार हो गया और झगडे फिसाद को आमादा हो गये। वादीगा को फ़िक हुई तो दोड धूप कर इन्द्राजात को नकूलात प्राप्त को जिनसे प्रतिवादीगण को पक्षकारी का इल्म हुआ। बदी वजह वादीगण को दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण के विरूद्व विनाय मुखासमत दिनांक 10.1.92 को उनके द्वारा जमीन की बेचने की धमकी देने एवं बंटवारा करने से इन्कार करने एवं हकूक वादीगण से इन्कार होने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। दावा अन्दर मियाद है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी
उप जिला कलक्टर करौली

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 4/5/1, 6, 7, 10, 14 की बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2/6 का दिनांक 8.4.25 को नाम हजफ किया गया एवं प्रतिवादी नंबर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 व 13 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि उप जिला कलेक्टर का फैसला दिनांक 13.7.61 में अंकित खसरा नम्बर व पाटोर, पेड इत्यादि को प्रतिवादीगण जवाबदार के बुजुर्ग अब्दुल हमीद का निजी सम्पत्ति में सही है इसमें उनका किसी प्रकार की भी चालाकी नही थी उन्होनें निजी सम्पत्ति के लिए दावा किया और धाराजोई की ओर उन्हीं के व उत्तरदारान के बीच सुनके फैसला हुआ। अब्दुल हमीद ने अपने पिता का नाम अब्दुल मजीद कभी नही बताया और ना वे अब्दुल मजीद के पुत्र बने। अब्दुल हबीब अथवा उनके वारिसान ने कभी कोई उज्र नही किया। 32 साल बाद यह झूठा वाद पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:09:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। जरदार खां के लडके गौस को हबीब खां व अब्दुल गफूर उर्फ मंझू खां के वारिसान जुम्मा व छिम्मन खातून ने भी कभी कोई ऐतराज नही किया। अब्दुल मजीद के लडके अ0 लतीफ को तो फरीक तक नही बनाया गया है जो वकील वादीगण उसी तरह हकदार हो सकता है इससे स्पष्ट है कि 32 साल बाद झूठा झगडा किया है। वादीगण के कोई हक हकूक नही है। खसरा नम्बर 4274 तो मौजूदा सूरत में आबादी है। नारायण व बदी मालियों के मकान है उनके सुने वगेर इस वोर में निस्तारण नही किया जा सकता है। इसमें वादीगण का ना कोई हक है ना हिस्सा है। खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की दुरूस्ती कराने के वादीगण को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण जवाबदार अब्दुल हमीद के वारिस हैं और इस प्रकार अब्दुल हमीद की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण सही हुआ है जैसा की उपर अंकित किया जा चुका है इसमें अब्दुल हबीब के कोई हक नही है क्योंकि यह प्रतिवादीगण के बुजुर्ग अब्दुल हमीद की निजी सम्पत्ति में विधि अनुसार सन् 1961 में फसल हुई है और इस पर गत 32 साल से निरंतर हमारे बुजुर्ग अब्दुल हमीद अपने जीवनकाल में व उनके बाद हम प्रतिवादीगण जवाबदार वास्तविक कब्जे काश्त में चले आ रहे है। यह जमीन सही प्रकार से हम जवाबदार के बुजुर्ग अब्दुल हमीद खां की निजी सम्पत्ति में जागीर कलेक्टर ने दिनांक 18.7.1961 को निर्णीत की क्योंकि जागीरदारों में से वे ही केवल काबिज चले आ रहे थे उन्होनें ने ही अपनी निजी सम्पत्ति मे लेने की दादरसी चाही और उर्जदारान मालियों से मुकदमें लडके और उन्हीं के दरम्यान तरकिया हुआ। वादीगण के पिता अब्दुल हबीब खां ने कोई दरख्वास्त नही दी ना कोई दादरसी चाही ना चाराजोई की ना उनका अथवा वादीगण कभी कब्जा रहा अन्य जागीरदारों की तरह इन्होनें मुआवजा ले लिया। अब्दुल मजीद के लडके अब्दुल लतीफ तो अभी तक जीवित है उनके के पक्षकार तक नही बनाया है इसी ने इनकी [illegible] भी नजर आती है। वादीगण किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी नही है। अब्दुल हबीब व उनके भाईयों को सन् 61 से ही इस निजी सम्पत्ति के संबंध में पूरी जानकारी है इसमें कोई फर्जकारी नही हुई है। हमारे बुजुर्ग अ0 हमीद

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (रीडर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खां ने ही दरख्वास्त देकर निजी सम्पत्ति चाही थी अब्दुल हबीब खां ने कोई दरख्वास्त नही दी ना कोई दादरसी चाही। कागजात मे केवल अब्दुल हमीद के पिता की जगह अब्दुल मजीद का नाम तत्कालीन अधिकारिगण द्वारा सहवण से आजाने का अनुचित लाभ उठाने की वदनीयति से यह झूठा दावा किया है अन्यथा 32 साल तक क्यों चुप रहे जबकि 32 साल से अब्दुल हमीद व उसके हम वारिसान वास्तविक कब्जे काश्त में चले आ रहे है। इनके इस चलन से यह ऐस्टोब्ड है और दावा वेरून म्याद है ना अपने हक में वादीगण दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी है ना दावे में कोई आधार है। विनाय मुखासमत दिनांक 10.11.92 को पैदा नही हुई। वादीगण को 13.7.1961 से जानकारी है। मनगढन्त तारीख दर्ज कर दी है दावा वेरून म्याद है व चलने योग्य नही है। अंत में दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी नंबर 5/4 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (गैर न्यायिक) कलक्टर करौली

विवाद्यक बिन्दु

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:–

1. आया विवादित अराजीयात दर्ज वादपत्र मद नं0 1 वादीगण के पिता के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है वादीगण अपने हक में खाातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। —वादीगण
2. आया वादीगण विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र मद नं0 1 वादीगण के खातेदारी व कब्जे की है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है। —वादीगण
3. आया अराजीयात प्रकरण में पक्षकारगण को पक्षकार बनाये चलने योग्य नही है। —प्रतिवादीगण
4. आया दावा वादीगण म्याद बाहर है चलने योग्य नहीं है। —प्रतिवादीगण
5. अनुतोष :–

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 अब्दुल वहीद के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2048–51 प्रदर्श–1, सजरा वंशावली प्रदर्श–2, सेंटलमेंट जमाबंदी प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 प्रदर्श–4, नकल नामांतकरण संख्या 64 प्रदर्श–5, नकल दावा नथुआ बनाम अब्दुल हमीद प्रदर्श–6, नकल निर्णय नथुआ बनाम अब्दुल हमीद प्रदर्श–7, नकल डिकी नथुआ बनाम अब्दुल अजीज प्रदर्श–8, नकल निर्णय आरएए कोटा प्रदर्श–9 व नकल डिकी आरएए प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 कस्बा करौली प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी संवत 2035–38 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 ग्राम ससेडा प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 ग्राम अतेवा प्रदर्श–14, सहमति पत्र पक्षकारान प्रदर्श–15, उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 12.10.2011 प्रदर्श–16 की छायांप्रति जो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई है एवं पंजिका कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी व उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 29.10.2011 प्रदर्श–17, पत्र दिनांक 4.11.2011 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर प्रदर्श–18, नकल निर्णय डिकी प्रदर्श–19, जमाबंदी संवत 2023–26 ग्राम अतेवा प्रदर्श–20 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्यवादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिलिपि प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (रीडर)
उप जिला कलक्टर करौली

साक्ष्य प्रतिवादी में डीब्ल्यू–1 अहसान अली के बयान लेखबद्व कराये है अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस लिखित बहस में कथन है कि आराजीयात खसरा नम्बरान 4265, 4270, 427[illegible] 4273, 4274, 4275, 4266, 4269, 4272 वादीगण [illegible] जिनमें आराजीयात खसरा नम्बरान 4265, 4270, 4273 [illegible] 4266, 4261, 4269, 4272 वादीगण के पिता अब्दुल हबीब के जैर [illegible] व कब्जे की रही है अब्दुल हबीब से पूर्व हमारे दावा अब्दुल मजीद के जैर खाता व कब्जे की थी हमारे बाबा अब्दुल मजीद के अब्दुल हमीद नाम का कोई पुत्र नही था

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

और न ही अब्दुल हमीद को हमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक था। आराजीयात खसरा नमबरान 4265, 4670, 4273, 4275, बाबत उप जिलाधीश जागीर ने दिनांक 13,7,61 को अपने फैसले में वाहिद हमारे वालिद अब्दुल हबीब खां पुत्र अब्दुल मजीद खां जागीरदार की निजी सम्पत्ति माना एवं दीगर सह खातेदारान अलाउददीन, निजामुददीन एवं मामू खां का इन चार नम्बरों में कोई हक नही माना। परन्तु प्रतिवादीगण अमानुल्ला, महमूद, अब्दुल शमी वगैरहा का पिता अब्दुल हमीद एक चालाक और होशियार आदमी था। उसके लोगों के ताल्लुक थे। वादीगण व वादीगण का पिता अब्दुल हबीब एक भोला और सादा इन्सान था। अब्दुल हमीद ने रेवेन्यू वालों से साजिश कर 4265, 4270, 4273, 4275 की नामान्तकरण पंजिका क कालम नम्बर 2 में अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद खां फर्जी तौर पर लिखा लिया जिसकी जानकारी वादीगण व वादीगण के पिता को नही हो सकी। इसके अलावा दीगर खसरा नम्बरान 4266, 4272, 4271, 4269 को खातेदारी के इन्द्राज में भी स्वयं को अब्दुल मजीद का पत्र लिखा लिया ये तमाम इन्द्राजात फर्जी और बनावटी है जिनसे वादीगण के हकूक कतई भी मुतसिर नही होते है। आराजी खसरा नम्बर 4274 वाके कस्बा करौली में भी वादीगण का 1/4 हिस्सा निहित है। जो रिकोर्डेड के जिसमें वादीगण अपन 1/4 हिस्से को मौके पर बंटवाकर कब्जा हासिल करने के अधिकार है। चूंकि इस नम्बर में भी प्रतिवादी अमानुल्ला, अब्दुल शमी, महमूद व इनके दो मृतक भाई अब्दुल सलाम, अब्दुल शकूर के वारिसान का कोई हक नही है परन्तु मौजूदा में फर्जी खातेदारी के इन्द्राजात होने के कारण अब्दुल सलाम व अब्दुल शकूर जो अब्दुल हमीद के ही लडके थे के वारिसान को प्रतिवादी नम्बर 8 लगायत 13 के रूप में दर्ज किया जा रहा है। आराजीयात खसरा नम्बरान 4365, 4270, 4273, 4275 के मुकम्मल इन्द्राजात को वादीगण अब्दुल हबीब के वारिसान होने के कारण अपने नाम कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण अमानुल्लाह व इनके भाइयों ने जो गलत तौर पर अपने नाम के इन्द्राज करा लिये है उनको दुरुस्त कराकर उनके नाम हटवाने के अधिकारी हे एवं खसरा नम्बरान 4274 में से वादीगण अपने 1/4 हिस्से को निजामुददीन व मामू खां के वारिसान 5 ता 12 से बंटवाकर अलग

प्रति प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी (गैर)
उप जिला कलक्टर करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

खातेदारी कराने के अधिकारी है। मामू खां की दूसरी पुत्री के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 हैं। खसरा नमबरान 4266, 4271, 4269, 4272 में भी जो अब्दुल हमीद ने स्वयं को अब्दुल मजीद का पुत्र लिखाकर अपने नाम को इन्द्राजात चढवा लिये है। इस इन्द्राज से भी अब्दुल हमीद के नाम को हटवाते हुये इन चारों नम्बरान पर वादीगण अपने नाम के इन्द्राजात कराते हुऐ खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.1.92 को उपरोक्त आराजीयात को बेचने की धमकी दी एवं खातेदारी स्वयं के नाम होने की जानकारी दी। वादीगण ने अपना हिस्सा मांगा तो हिस्सा देने से भी इन्कार हो गया और झगडे फिसाद को आमादा हो गये। वादीगा को फ्रिक हुई तो दोड धूप कर इन्द्राजात को नकूलात प्राप्त को जिनसे प्रतिवादीगण को पक्षकारी का इल्म हुआ। सन् 1961 में अब्दुल हमीद खां के नाम निजी सम्पत्ति जागीर कलक्टर द्वारा घोषित की गई हो, गलत दर्ज कि है। स्वंय प्रतिवादी द्वारा दावे में 1961 का जो दस्तावेज पेश किया गा है, उसमें अब्दुल हमीद के पिता का नाम दर्ज है जबकि प्रदर्श–2 सजरे के मुताबिक अब्दुल हमीद के पिता का नाम अब्दुल रज्जाक उर्फ अज्जू खां लिखा हुआ है। ये सभी दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा अपनी जिरह में स्वीकृत किये गये है। जबकि प्रतिादी द्वारा सजरा प्रदर्श–2 में अब्दुल मजीद के लड़के अब्दुल हबीब (पिता वादीगण) व अब्दुल लतीफ व इमामुद्दीन थे, जिन्हें प्रतिवादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रतिवादी का यह कहना कि 1961 में विवादित जमीनों को हमीद खां की निजी संपत्ति घोषित किया गया हो, गलत साबित हो जाता है। इसके अलावा इस पैरा में धारा 240 आर टी एक्ट के तहत अदालत हाजा जरिये जिला कलक्टर दीवानी अदालत के यहां आबादी की तनकी को निर्णय हेतु भेजा जा सकता हो, गलत दर्ज किया है। धारा 242 आर टी एक्ट में दीवानी न्यायालय को यह अधिकतर दिया हैं किवह यदि कोई राजस्व ... कोई तनकी बनती है तो उस तनकी को बनाकर राजस्व न्यायालय ... भेज सकती है एआईआर 1979 राज. पेज 142 भी प्रतिवादी की कोई सहायता नहीं करती है। जागीर कलक्टर द्वारा निर्णय के 32 साल बाद चाराजोई क्यों की है, निजी संपत्ति घोषित करने के लिए जागीर कलक्टर के यहां प्रार्थना पत्र

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (नकल)
उप जिला कलक्टर करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

क्यों पेश नहीं किया, गलत दर्ज किया है। प्रतिवादी को स्वंय को जानकारी रही कि अब्दुल हमीद के पिता का नाम अब्दुल मजीद गलत दर्ज है तो अब्दुल हमीद को उसमें संशोधन करान चाहिए था, लेकिन सभी की जायदाद होने के कारण अब्दुल हमीद चुप क्यों बैठ रहा। नामांतकरण संख्या 64 में भी कॉलम संख्या 11 में अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद के नाम नामांतकरण भरा गया है तथा नामांतकरण तस्दीक की इबारत में श्री अब्दुल हबीब खां पुत्र अब्दुल मजीद खं जागीरदार की निजी संपत्ति घोषित करने का इन्द्राज मौजूद है जिसकी स्वंय प्रतिवादी को जानकारी रही है। प्रतिवादी ने स्वंय अपनी जिरह में भी इस नामान्तकरण को स्वीकार किया है इस नामांतकरण के खिलाफ भी प्रतिवादी या अब्दुल हमीद के द्वारा कभी कोई एतराज पेश नहीं किया गया। इस प्रकार भी सन 1961 का निर्णय अब्दुल हमीद के पक्ष में हो, साबित नहीं होता है। इसके अलावा घोषणा खातेदारी का दावा करने के लिए धारा 88 आर टी एक्ट की कोई म्याद नहीं दी गई है। अंत दावा वादी डिकी किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि उप जिला कलेक्टर का फैसला दिनांक– 13.7.61 में अंकित खसरा नम्बर व पाटोर, पेड इत्यादि को प्रतिवादीगण जवाबदार के बुजुर्ग अब्दुल हमीद का निजी सम्पत्ति में सही है इसमें उनका किसी प्रकार की कोई भी चालाकी नही थी उन्होनें निजी सम्पत्ति के लिए दरख्वास्त दी थी और चाराजोई की ओर उन्हीं के व उज्रदारान के बीच सुनके फैसला हुआ। अब्दुल हमीद ने अपने पिता का नाम अब्दुल मजीद कभी नही बताया और ना वे अब्दुल मजीद के पुत्र बने। अब्दुल हबीब अथवा उनके वारिसान ने कभी कोई उज्र नही किया। 32 साल बाद यह झूठा वाद पेश किया है। जरदार खां के लडके गौस को हबीब खां व अब्दुल गफूर उर्फ मंझू खां के वारिसान जुम्मा व छिम्मन खातून ने भी कभी कोई ऐतराज नही किया। अब्दुल मजीद के लडके अ0 लतीफ को तो फरीक तक नहीं बनाया गया है जो वकील वादीगण उसी तरह हकदार हो सकता है जैसे वादीगण। 32 साल बाद झूठा झगडा किया है। वादीगण के कोई हक हकूक नही है। खसरा नम्बर 4274 तो मौजूदा सूरत में आबादी है। नारायण व बदी मालियों के मकान है उनके सुने वगेर इस वोर में निस्तारण नही किया जा सकता है। इसमें

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

वादीगण का ना कोई हक है ना हिस्सा है। खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की दुरूस्ती कराने के वादीगण को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण जवाबदार अब्दुल हमीद के वारिस हैं और इस प्रकार अब्दुल हमीद की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण सही हुआ है जैसा की उपर अंकित किया जा चुका है इसमें अब्दुल हबीब के कोई हक नही है क्योंकि यह प्रतिवादीगण के बुजुर्ग अब्दुल हमीद की निजी सम्पत्ति में विधि अनुसार सन् 1961 में फसल हुई है और इस पर गत 32 साल से निरंतर हमारे बुजुर्ग अब्दुल हमीद अपने जीवनकाल में व उनके बाद हम प्रतिवादीगण जवाबदार वास्तविक कब्जे काश्त में चले आ रहे है। यह जमीन सही प्रकार से हम जवाबदार के बुजुर्ग अब्दुल हमीद खां की निजी सम्पत्ति में जागीर कलेक्टर ने दिनांक 18.7.1961 को निर्णीत की, क्योंकि जागीरदारों में से वे ही केवल काबिज चले आ रहे थे उन्होनें ने ही अपनी निजी सम्पत्ति मे लेने की दादरसी चाही और उर्जदारान मालियों से मुकदमें लडके और उन्हीं के दरम्यान तरकिया हुआ। वादीगण के पिता अब्दुल हबीब खां ने कोई दरख्वास्त नही दी ना कोई दादरसी चाही ना चाराजोई की ना उनका अथवा वादीगण कभी कब्जा रहा अन्य जागीरदारों की तरह इन्होनें मुआवजा ले लिया। अब्दुल मजीद के लडके अब्दुल लतीफ तो अभी तक जीवित है उनके के पक्षकार तक नही बनाया है इसी ने इनकी कारस्तानी नजर आती है। वादीगण किसी प्रकार की घोषणा कराने के अधिकारी नही है। अब्दुल हबीब व उनके भाईयों को सन् 61 से ही इस निजी सम्पत्ति के संबंध में पूरी जानकारी है इसमें कोई फर्जकारी नही हुई है। हमारे बुजुर्ग अ0 हमीद खां ने ही दरख्वास्त देकर निजी सम्पत्ति चाही थी अब्दुल हबीब खां ने कोई दरख्वास्त नही दी ना कोई दादरसी चाही। कागजात मे केवल अब्दुल हमीद के पिता की जगह अब्दुल मजीद का नाम तत्कालीन अधिकारिगण द्वारा सहवण से आजाने का अनुचित लाभ उठाने की वदनीयति से यह दावा किया है अन्यथा 32 साल तक क्यों चुप रहे जबकि 32 साल से हमीद व उसके हम वारिसान वास्तविक कब्जे काश्त में चले आ रहे है। इनके इस चलन से यह ऐस्टोव्ड है और दावा वेरून म्याद है ना अपने हक में वादीगण दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी है ना दावे में कोई आधार है। विनाय

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (रीडर)
... करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुखासमत दिनांक 10.11.92 को पैदा नही हुई। वादीगण को 13.7.1961 से जानकारी है। मनगढन्त तारीख दर्ज कर दी है दावा वेरून म्याद है व चलने योग्य नही है। अंत में दावा वादी खॉरिज किया जावे।

बहस वकील वादी व प्रतिवादी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। जिसके संबंध में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2048–51 प्रदर्श–1, सजरा वंशावली प्रदर्श–2, सेंटलमेंट जमाबंदी प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 प्रदर्श–4, नकल नामांतकरण संख्या 64 प्रदर्श–5, नकल दावा नथुआ बनाम अब्दुल हमीद प्रदर्श–6, नकल निर्णय नथुआ बनाम अब्दुल हमीद प्रदर्श–7, नकल डिकी नथुआ बनाम अब्दुल अजीज प्रदर्श–8, नकल निर्णय आरएए कोटा प्रदर्श–9 व नकल डिकी आरएए प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 कस्बा करौली प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी संवत 2035–38 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 ग्राम ससेडी प्रदर्श–13, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 ग्राम अतेवा प्रदर्श–14, सहमति पत्र पक्षकारान प्रदर्श–15, उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 12.10.2011 प्रदर्श–16 की छायांप्रति जो सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई है एवं पंजिका कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी व उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 29.10.2011 प्रदर्श–17, पत्र दिनांक 4.11.2011 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर प्रदर्श–18, नकल निर्णय डिकी प्रदर्श–19, जमाबंदी संवत 2023–26 ग्राम अतेवा प्रदर्श–20 एवं मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू–1 अब्दुल वहीद ने पिता के समय से कब्जा होना कथन किया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी डीब्ल्यू–1 अहसान अली ने भूमि अपने बाबा अब्दुल हमीद की खातेदारी की होना बताया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में भूमि [illegible] अब्दुल हबीव अपने पिता एवं दादा अब्दुल मजीद के खातेदारी के होने के संबंध में कोई राजस्व रिकॉर्ड संवत 2015 से पूर्व का पत्रावली में पेश नही किया है। बल्कि उक्त भूमि नामांतकरण 64 प्रदर्श–5 के द्वारा श्रीमान उप जिलाधीश जागीर सवाई माधोपुर के द्वारा अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद के खातेदारी में दर्ज हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned by CamScanner

है। इस नामांतकरण में दर्ज निर्णय दिनांक 13.7.1961 को वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और वादी द्वारा यह वाद 32 साल की अवधि के बाद पेश किया गया है। अब्दुल हमीद के पिता का नाम अब्दुल मजीद नहीं है। इस संबंध में वादी की ओर से गत 32 साल से अथवा 1961 के जागीर कलक्टर के निर्णय की जानकारी होना वादी का स्वीकृत तथ्य है। फिर भी इस संबंध में वादी द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई है और ना ही निजी संपत्ति घोषित कराने के लिए कोई प्रार्थना–पत्र जागीर कलक्टर के यहां प्रस्तुत किया है। अब्दुल हमीद के पिता का नाम अब्दुल मजीद प्रतिवादी या प्रतिवादी के पुरखों द्वारा नहीं लिखा गया है। सहवन पिता नाम अब्दुल मजीद दर्ज होने से 1961 का निर्णय समाप्त नहीं होता है। मात्र आपसी लिखा–पढी भी जागीर कलक्टर का निर्णय निरस्त नहीं होता है और न्यायालय हाजा को जागीर कलक्टर के निर्णय को निरस्त करने की अपील अदालत नहीं है। 1961 का निर्णय लोक दस्तावेज है। वादी अपने स्वीकृत तथ्य से पाबंद है। वादी ने जो सजरा पेश किया है उसके अनुसार जीवित एवं दौराने मुकदमा मरने वाले पक्षकारों के वारिसान को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। अमानुतुल्ला की मृत्यु दौराने मुकदमा हुई है। उसके 8 बच्चियां होना वादी का स्वीकृत है। उनको भी वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है। विवादित आराजीयात में मालियों के मकानात होना स्वीकृत तथ्य है। उनको भी वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है। दीवानी अदालत द्वारा प्रकरण दिनांक 29.09.2003 को मुकदमा उनवानी अब्दुल शमी वगै0 बनाम निजामुद्दीन वगै0 मुकदमा नंबर 143/94 में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है कि विवादित जायदाद में प्रतिवादीगण निजामुद्दीन वगै0 किसी प्रकार की तोडफोड नहीं करें। इसका भी कोई स्पष्टीकरण वादी द्वारा नहीं दिया गया है। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से वादी भूमि को अपने पिता की खुदकाश्त भूमि साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि का अपने आपको खातेदार काश्तकार साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी (रीडर)
उप जिला कलक्टर करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में प्रतिवादी डीब्ल्यू–1 अहसान अली ने अपने बयानों में कथन किया है कि बद्री व नारायण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। उन्हें पक्षकार बनाये वगै0 दावा वादी चलने योग्य नहीं है। जिसका कोई खण्डन वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य से नहीं किया गया है एवं स्वंय वादी अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया की बद्री व नारायण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने भार भी प्रतिवादीगण पर है। जागीर कमिशनर का निर्णय दिनांक 13.7.1961 का है और वादी द्वारा यह वाद दिनांक 28.02.92 को प्रस्तुत किया गया है। जो 32 साल बाद पेश किया गया है। जो धारा 188 आरटी एक्ट की दादरसी के लिए म्याद बहार है। जिसका कोई खण्डन वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से या मौखिक साक्ष्य नहीं किया गया है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 4 के विवेचन से वादीगण वादग्रस्त आराजी को अपने पिता अब्दुल हवीब की खुदकाश्त भूमि एवं खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि साबित करने में असफल रहे है। जागीर कलक्टर सवाईमाधोपुर का निर्णत 13.7.1961 के आधार पर नामांतकरण नंबर 64 प्रदर्श–5 के द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के खातेदारी में दर्ज हुई है। वादीगण द्वारा जागीर कमिशनर के निर्णय दिनांक 13.7.1961 से आज दिवस तक सक्षम अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा अपने हक में कराने एवं प्रतिवादीगण को कब्जे के अभाव में पाबंद कराने के हकदार नहीं है। दावा वादीगण बद्री व नारायण को बिना पक्षकार बनाये, कुसंयोजन पक्षकार होने के कारण एवं म्याद बहार होने से चलने योग्य नहीं है और खारिज होने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.1.26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज0)

छाया प्रति प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी (रीडर)
उपखण्ड/जिला कलक्टर करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या 35

तारीख दरख्वास्त देने की 15/01/26

तारीख नकल तैयारी ....

तारीख नकल देने की 16/01/26

कुल पेज 14

कुल स्टाम्प रुपये 28

ह० नकल देने वाले

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner